



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

इ-मेल /स्पीड पोस्ट

E-Mail/Speed Post

Ref No.: AAI/CHQ/EDENGG-SR/COIMBATORE/TB/ENGG.CONSU&T./WO/2022/41 Dated: 24.08.2022

To,

M/s GIAN P Mathur & Associates Pvt. Ltd.

C-55, East of Kailash,

New Delhi – 110065.

Contact No. 011 4659 9599

E-Mail: bd@gpmindia.com, info@gpmindia.com

विषय : कौयंबटूर हवाई अड्डे के विकास के लिए वास्तुकला और अभियांत्रिकी परामर्श सेवाएं।

(निविदा आई. डी.: 2022_AAI_112668_1)

Sub: Architectural and Engineering Consultancy Services for Development of Coimbatore Airport [Tender ID No. 2022_AAI_112668_1]

Ref: Your tender (Financial Bid) opened through CPP portal on 10.06.2022.

Dear Sir(s),

1. उपरोक्त विषय कार्य के लिए आपकी निविदा अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत अनुमानित लागत या प्रदान की गई लागत या निष्पादन अनुबंधों की वास्तविक समापन लागत, जो भी कम हो उस पर आपके द्वारा उद्धृत शुल्क 0.41% (जीरो प्वाइंट चार एक प्रतिशत केवल) जीएसटी को छोड़कर लेकिन अन्य सभी लागू करों सहित स्वीकार की जाती है। (खरीदी गई प्रमुख वस्तुओं की लागत को छोड़कर)।

सभी प्रमुख खरीदी गई वस्तुओं के लिए अर्थात् एस्केलेटर, लिफ्ट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, पैसंजर बोर्डिंग ब्रिज, डी.जी. सेट, ट्रांसफॉर्मर और एक्स-रे मशीन आदि। देय परामर्श शुल्क की गणना उपरोक्त उद्धृत प्रतिशत शुल्क को अनुमानित लागत / प्रदान की गई लागत / विशेष रूप से खरीदी गई वस्तु की वास्तविक पूर्णता लागत जो भी कम हो के 25% पर की जाएगी।

Your bid for the subject work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at your quoted fee 0.41% (Zero Point Four One percentage only) (Excluding GST but inclusive of all other applicable taxes) of approved estimated cost or awarded cost or actual completion cost of execution contracts, whichever is less (excluding the cost of major bought out items).

For all major bought out items i.e. Escalators, Elevators, Baggage Handling system, Passenger Boarding Bridges, D.G. Sets, Transformers & X-Ray Machines etc. the Consultancy fee payable shall be worked out considering the above quoted percentage fee on 25% of Least of the Estimated Cost/Awarded cost/Actual Completion cost of the particular bought out item.

2. विषय कार्य के लिए पूर्व-प्रदान/योजना गतिविधियों अर्थात् कार्य के निष्पादन अनुबंध (ईपीसी) के अवार्ड तक कार्य के प्रभारी अभियंता उप महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी - सिविल)- द.क्षे., भा.वि.प्रा., नि. मु., ब्लॉक-ए, तीसरी मंजिल, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 प्रभारी अभियंता होंगे। एवं प्रदान पश्चात् / निष्पादन (चरण -1) और निष्पादन के समापन (चरण- I) के बाद, संयुक्त महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल), एएआई, कोयंबटूर हवाई अड्डा । आपसे अनुरोध है कि उप महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी - सिविल)- द.क्षे., भा.वि.प्रा., नि. मु., ब्लॉक-ए, तीसरी मंजिल, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में इस पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित हों। अनुबंध 100/- रुपये (एक सौ रुपये) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा और स्टाम्प पेपर की लागत आपके द्वारा वहन की जाएगी।

Engineer-In-Charge of the work for Pre-award/Planning activities i.e. up to award of execution contract of the work (EPC), shall be Dy. GM (Engg-Civil), O/o ED Engg-SR, AAI, CHQ, Block-A, 3rd floor, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003 and for Post award/Execution (phase-1) and Post-Completion of Execution (Phase-I), shall be Jt. GM (Engg. -Civil), AAI, Coimbatore Airport. You are requested to attend the office of Dy. GM (Engg-Civil), O/o ED Engg-SR, AAI, CHQ, Block-A, 3rd floor, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003 within 15 days from the date of issue of this letter to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

3. निविदा दस्तावेज के खंड 4.3 के अनुसार सुरक्षा जमा राशि की वसूली की जाएगी यदि आप चालू बिलों से सुरक्षा जमा राशि की कटौती नहीं करवाना चाहते हैं, तो, ऐसे मामले में सुरक्षा राशि रुपये 16,10,501/- (सोलह लाख दस हजार पांच सौ एक मात्र) आपके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अनुसूचित बैंक लेकिन सहकारी या ग्रामीण बैंक से नहीं निर्धारित प्रपत्र के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में जमा की जा सकती है (निविदा दस्तावेज के अनुबंध-IX के अनुसार), ऐसा न करने पर निविदा दस्तावेज के खंड 4.3 के अनुसार कटौती की जाएगी।

Security deposit shall be recovered as per clause 4.3 of the tender document, if you want non-deduction of Security amount from the running bills, in such case the amount likely to be deducted as security of Rs. 16,10,501/- (Rupees Sixteen Lakhs Ten Thousand Five Hundred One only) can be deposited by you in the form of Bank Guarantee from Nationalized Bank or any Scheduled Bank but not co-operative or Gramin Bank in accordance with the prescribed form (as per Annexure-IX of tender document), failing which the same shall be deducted as per clause 4.3 of the tender document.

4. स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर, आप भा.वि.प्रा. को, अनुबंध दस्तावेज के पृष्ठ 136 पर अनुच्छेद 7.0 की शर्त के अनुसार निष्पादन गारंटी रुपये 9,66,300/- (रुपये नौ लाख छयासठ हजार तीन सौ मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अनुसूचित बैंक लेकिन सहकारी या ग्रामीण बैंक से नहीं निर्धारित प्रपत्र के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 231 पर स्थित अनुलग्नक-XI के अनुसार जमा करें।

Within 30 days from the date of issue of this letter, you shall submit to AAI, a performance Guarantee as per Clause 7.0 at page 136 of tender document for an amount of Rs. 9,66,300.00 (Rupees Nine Lakhs Sixty-Six Thousand Three Hundred Only) in the form of a Bank Guarantee from a Nationalized/Scheduled Indian Bank but not from any co-operative or Gramin Bank in the proforma appended as Annexure- XI at page 231 of the tender document.

5. आपसे अनुरोध है कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996, न्यूनतम

मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और ईएसआई अधिनियम 1948, समय-समय पर संशोधित नियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के प्रावधान का पालन करें।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) central rules 1971, Child labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996, Building and other Construction workers welfare cess Act 1996, Minimum Wages Act 1948, Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act 1952 and ESI Act 1948, amended from time to time and rules thereof central and State Governments.

6. आपको उप महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल)- द.क्षे., भा.वि.प्रा., नि. मु. से तुरंत संपर्क करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है जो आपको अनुबंध प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के संबंध में निर्देश देंगे।

You are also directed to contact Dy. General Manager (Engg-Civil)-SR, AAI, CHQ immediately who will instruct you regarding taking up the work as per contract provisions.

7. कृपया ध्यान दें कि कार्य करने के लिए अनुमत समय 32 (बत्तीस) महीने (पूर्व- प्रदान/ योजना गतिविधियों के लिए 06 महीने + प्रदान के पश्चात / निष्पादन (चरण- I) कार्य के लिए 24 महीने + 02 महीने निष्पादन के समापन के पश्चात के लिए) और इसकी गणना इस पत्र के जारी होने के 10वें दिन से होगी।

Please note that the time allowed for carrying out the work shall be 32 (Thirty-Two) months (06 months for Pre-Award / Planning Activities + 24 months for Post-Award/Execution (Phase-I) Work+ 02 month for Post-Completion of Execution) and same shall be reckoned from the 10th day after the date of issue of this letter.

8. अनुबंध के संबंध में किसी भी भावी पत्राचार को सामान्यतया प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाना चाहिए।

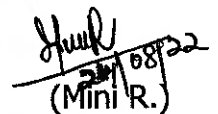
Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer- in -Charge.

9. कृपया रसीद की पावती दें और इसके साथ संलग्न इस पत्र की डुप्लीकेट प्रति हस्ताक्षर करने के बाद अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृति के प्रतीक के रूप में लौटा दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

10. In case of any ambiguity, the English version will be followed.

Yours Faithfully,


(Mini R.)

Dy. General Manager (Engg-Civil)-SR, CHQ.
For and on behalf of the Chairman,
Airports Authority of India.